

छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक - 47

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 (श्रावण 4, 1943)

माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना का विवरण

पंचम विधान सभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर, दिसम्बर, 2020 सत्र में से पारित कुल 7 विधेयकों में शेष बचे 6 विधेयकों में से 5 विधेयकों पर तथा फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में पारित सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

विधेयक का नाम	सदन में पारित होने का दिनांक	माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त होने का दिनांक
पंचम विधान सभा		
अगस्त, 2020 सत्र		
1. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020)	28.06.2020	18.05.2021
दिसम्बर, 2020 सत्र		
2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020)	28.12.2020	30.01.2021
3. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020)	28.12.2020	25.02.2021
4. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020)	28.12.2020	25.02.2021
5. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020)	28.12.2020	20.02.2021
6. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)	28.12.2020	19.02.2021
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र		
7. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021)	24.02.2021	17.03.2021
8. बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)	09.03.2021	10.05.2021
9. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021)	09.03.2021	31.03.2021
10. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021)	09.03.2021	11.05.2021

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा